

#### **ढद 4 (1) (ख)-(vii)**

किसी भी व्यवस्था के ब्यौरे जो उसके नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में आम जनता के परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद हैं।

निगम ने एक विस्तृत नागरिक चार्टर तैयार किया है जो अपनी नीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के संबंध में आम जनता के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए विस्तृत व्यवस्था प्रदान करता है और यदि कोई शिकायत हो तो उसके निवारण के लिए एक योजना प्रदान करता है। नागरिक चार्टर की एक प्रति नीचे दिए गए लिंक पर उल्लिखित है: -

### [नागरिक चार्टर](#)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956) के अंतर्गत किया गया था और यह एक वाणिज्यिक संगठन है। पीएफसी द्वारा अपनाई गई नीतियां और प्रक्रियाएं आंतरिक प्रबंधन से संबंधित हैं और इसलिए, इसकी आंतरिक नीतियों के निर्माण से पहले आम जनता के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, इन सभी आंतरिक नीतियों को सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमन और भारत सरकार के दिशानिर्देशों आदि के प्रावधान के अनुसार तैयार किया गया है।